न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 51/2023
दायर दिनांक :– 01.05.2023

अनवान

श्रीमती बरजी देवी पुत्री गोकुल पत्नी लालाराम लोधा निवासी– सांगरिया तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी.....

बनाम

1. गोविन्द पुत्र श्री मल्ला लोधा निवासी – सांगरिया तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाड़ा
2. मल्ला पुत्र श्री जग्गा लोधा निवासी– सांगरिया तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाड़ा
3. रामकिशन पुत्र श्री मल्ला लोधा निवासी– सांगरिया तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा (राज०)
5. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा (राज०)

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शिवराज शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 21 .08.2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनोप तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाड़ा खाता संख्या 114 में आराजी नम्बर 531 रकबा 0.2800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 532 रकबा 0.2100 हैक्टयर, आराजी नम्बर 568 रकबा 0.0200 हैक्टयर कुल किता 03 तीन रकबा 0. 5100 हैक्टयर तथा खाता संख्या 113 में आराजी नम्बर 3641 रकबा 0.6300 हैक्टयर कुल किता 01 एक रकबा 0.6300 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया एंव विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। वर्णित आराजियात मे प्रार्थीया का 2/9 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 2/9 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/3 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 03 का 2/9 हक हिस्सा निहित है। विवादित आराजी पर प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 से 03 संयुक्त रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त वर्णित आराजीयात का अभी तक विभाजन नही हुआ है। विवादित आराजीयात संयुक्त शामलाती होने से पक्षकारो के मध्य आये दिन लगान आदि जमा कराने व मेड पाली की घास काटने के बारे मे विवाद होता रहता है

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तथा प्रार्थीया ने कई बार विपक्षी संख्या 01 से 03 को उक्त आराजियात का विभाजन कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षी संख्या 01 से 03 हर बार टालमटोल करते रहे। `वर्णित आराजियात संयुक्त शामलाती अविभाजित आराजियात है, जिसमे प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा निहित है। लेकिन विपक्षी संख्या 01 से 03 की नियत मे फितुर पैदा हो गया है तथा विपक्षीगण ने आपस मे मिलीभगती कर उक्त आराजीयात का बिना विभाजन कराये, प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से आये दिन अजनबी लोगो को लाकर भूमि बैचने की बाते करते है व जबरन बिना विभाजन कराये रास्ते की तरफ की भूमि पर जबरन अवैध निर्माण कराना चाहते है, जबकि रास्ते की भूमि पर सभी खातेदारान का समान हक हिस्सा व अधिकार है। इस पर प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कहा कि उक्त आराजीयात संयुक्त शामलाती है, जिसका बिना विभाजन कराये, उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हंस्तांतरण नही करे व उक्त आराजियात को रास्ते की तरफ हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर विभाजन करावे, लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थीया को धमकी दी कि विपक्षीगण प्रार्थीया को विवादित आराजीयात से बेदखल करं देगे व आराजियात को खुर्द बुर्द करके रहेगे। जबकि विपक्षी संख्या 01 से 03 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। उक्त आराजीयात का अभी बटवाड़ा नही हुआ है व शामलाती रूप से काबिज है तथा यदि विपक्षी संख्या 01 से 03 बिना विभाजन कराये उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देगे व अवैध निर्माण कर लेगे तो प्रार्थीया एंव विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 एवं क्रेताओ जो कि अजनबी व्यक्ति होगे के मध्य कब्जे बाबत अनेका अनेक विवाद बढ़ जायेगा। इस कारण प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 01 से 03 को उक्त आराजीयात का विभाजन कराने हेतु दिनांक 07 फरवरी 2023 को कहा लेकिन विपक्षी संख्या 01 से 03 तैयार नही हुए व विपक्षी संख्या 01 से 03 ने प्रार्थीया को धमकी दी कि उक्त विवादित आराजीयात का बिना विभाजन कराये उक्त आराजीयात को विकय, हस्तांतरण ६ खुर्द बुर्द करके ही रहेगे व जबरन रोड़ की तरफ की भूमि पर बिना विभाजन कराये व बिना कृषि भूमि का सपरिवर्तन कराये, अवैध तरीके से अवैध निर्माण करने पर आमादा है। इस कारण से यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यदि विपक्षी संख्या 01 से 03 बिना विभाजन कराये विवादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीया को बेदखल कर देगे या प्रार्थीया के हक हिस्से को भी किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगे या अवैध निर्माण कर लेगे तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थीया के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 01 से 03 प्रार्थीया को विवादग्रस्त आराजीयात सरहद सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनोप तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाड़ा मे भाग –अ खाता संख्या 114 मे आराजी नम्बर 531 रकबा 0.2800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 532 रकबा 0.2100 हैक्टयर, आराजी नम्बर 568 रकबा 0.0200 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.5100 हैक्टयर, भाग–ब खाता संख्या 113 मे आराजी नम्बर 3641 रकबा 0.6300 हैक्टयर कुल किता 01 रकबा 0.6300 हैक्टयर से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व नही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करे तथा प्रार्थी को अपने हक हिस्से का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलाँ (भीलवाड़ा) राज

Scanned with OKEN Scanner

पेदा करे व नही किसी अन्य से करावें व न ही किसी प्रकार का अवैध निर्माण आदि करे व भूमि के वर्तमान स्वरूप मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरान किया।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 सहखातेदार है। प्रार्थी सहखातेदार होने के कारण उक्त आराजी के विभाजन का अधिकार रखता है। परंतु प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 1 से 3 के साथ विवादित आराजी में हिस्सा निहित है, प्रार्थी के हिस्से में विवादित आराजी के कुल क्षेत्रफल 0–5100, 0.6300 हैक्टेयर में से बहुत कम क्षेत्रफल आता है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सद्भावी प्रतीत नहीं होता है। सहखातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा विधि अनुसार जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नही पाया गया है। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो नवीन व्यक्तियों को आराजी का कुछ हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा विक्रय किये जाने की संभावना है। जिससे प्रार्थी को कुछ असुविधा होगी। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को विवादित आराजी में स्वंय में हिस्से में ऋण लिये जाने में असुविधा होगी। इस प्रकार अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के बिंदू प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थीगण किसी एक के पक्ष में नही पाया गया। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक21 .08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाडा) राज